





ayush raj

क्र० भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आला समकालीन भारत में जाति, गरीबी, पिछड़ा एवं बहुसंख्यवाद जैसे वास्तविकताओं से कैसे टकराती हैं ? (38 अंक)

अतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना ("हम, भारत के लोग ---") देश को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, जो अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व सुनिश्चित करने का संकल्प लेती है। यह आदर्श भारत की सामाजिक - आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं जैसे जैसे - जाति, गरीबी, पिछड़ा एवं बहुसंख्यवाद से टकराती है, तो कई अंतर्विरोध उजागर होते हैं।



भारतीय संविधान के प्रस्तावना की आला से टकराव ! → समकालीन भारत में



प्रस्तावना की आत्मा

- (i) समता एवं बंधुता
- (ii) सामाजिक और आर्थिक न्याय
- (iii) लैंगिक समता और स्वतंत्रता
- (iv) धर्मनिरपेक्षता

दृष्टांत

जाति
गरीबी
पितृसत्ता
बहुसंख्यवाद

① समता एवं बंधुत्व बनाम जाति :->

प्रस्तावना का आदर्श :-> सामाजिक, आर्थिक तथा समानता का वादा।
समकालीन वास्तविकता :-> जाति आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता एवं जातिगत हिंसा आज भी व्याप्त है। ए. सी. एस. टी. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. सी. सी.) समुदायों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अर्थ प्रतिक्रिया में पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड एजेंसी (एन. सी. आर. बी.) की रिपोर्ट 2022 के अनुसार अनुसूचित जातियों के विरुद्ध होने वाले अपराध 2021 की तुलना में 13.1% से बढ़कर 57582 हो गए हैं।

दृष्टांत :-> संवैधानिक आरक्षण एवं कानूनी सुरक्षा (जैसे - 3C/8A एच) होने के बावजूद जातिगत व्यवस्था एवं असमानता व्याप्त है। प्रस्तावना का "बंधुत्व" का सिद्धांत जातिगत विभाजन को चुनौती देता है।

उदाहरण :-> समय-समय पर कुछ राज्यों से जातीय हिंसा एवं अत्याचार इस बात का प्रमाण है कि संवैधानिक समता कुछ मामलों में केवल कागजों तक सीमित है।

② सामाजिक तथा आर्थिक न्याय बनाम गरीबी :->

संवैधानिक सामाजिक और आर्थिक न्याय का वादा करता है, परन्तु भारत में गरीबी आज भी एक जमीनी सच्चाई है।

प्रस्तावना का आदर्श :-> "सामाजिक" दायें के तहत आर्थिक असमानता कम करने का लक्ष्य।

वास्तविकता :-> भारत में विश्व की सबसे बड़ी गरीब आबादी (ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023) है।

वास्तविकता : → ग्लोबल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में विश्व की सबसे बड़ी गरीब आबादी रहती है। कुपोषण, बेरोजगारी और असंगठित क्षेत्र में शोषण उत्पन्न है।

उत्तराव : → नीतिगत विफलताएँ (जैसे - वस्तु एवं सेवा कर का संप्रत्यक्ष कर प्रभाव) तथा संसाधनों का असमान वितरण प्रस्तावना के 'आर्थिक आग' को अथवा छोड़ता है। तथा उदारीकरण एवं दिव्यकरण के बाद आर्थिक असमानता और बढ़ी है, जिससे सामाजिक आग की संकल्पना कमजोर पड़ी है।

उदाहरण : → भारत में शीर्ष ^{10%} अमीरों के पास देश की कुल संपत्ति का 65 प्रतिशत हिस्सा है। जबकि, सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों के पास 40% से अधिक संपत्ति है। निचली 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है। 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो अनाज दिया जा रहा है।

(3) सामाजिक समता एवं स्वतंत्रता बनाम पितृसत्ता : →

संविधान स्त्री-पुरुष की समानता और सभी को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा को लगातार बाधित करती है।

प्रस्तावना का आदर्श : → "सभी नागरिकों को गरिमा और अक्सर की समानता"।

वास्तविकता : → एन.सी. आर.बी. 2022 की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 90 से अधिक कुटुंबों के मामले आते हैं एवं ग्लोबल और डेप रिपोर्ट 2023 से वर्तन अंतर एवं पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ बाधक हैं।

उत्तराव : → कानून एवं सामाजिक मानसिकता के बीच खाई है। इसलिए 'समानता' का सिद्धांत पितृसत्तात्मक संरचनाओं से टकराता है।

उदाहरण : → महिला आरक्षण बिल पर वर्षों तक टालमटोल, कार्यस्थलों पर गैर औपचारिक मामलों और कमपा भ्रष्ट दल पितृसत्ता के स्वाधिन को दर्शाते हैं।

4. बहुसंख्यवाद बनाम धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व : →

संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, लेकिन ग़लिया दृष्टिकोणों में बहुसंख्यवाद की प्रवृत्तियाँ उभरी हैं।

प्र वास्तविकता : अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, ईसाई) के खिलाफ हिंसा (जैसे - लिचिंग, धर्मांतरण कानून), हिंदुत्व की राजनीति और "संस्कृत" "शस्त्रवाद" की संकीर्ण व्याख्या।

टकराव : नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए.) और एन.आर.सी. जैसे कदमों पर 'धर्मनिरपेक्षता' को लेकर सवाल उठे हैं।

प्रस्तावना का 'बंधुत्व' साम्प्रदायिक विभाजन से जुड़ता है।

प्रस्तावना का आदर्श वह प्रकाशस्तंभ है, जिसकी दिशा में राष्ट्र को बढ़ना चाहिए। किंतु जब ये आदर्श समाज में व्याप्त असमानता, हिंसा और भेदभाव की दीवारों से टकराते हैं, तो संविधान की आत्मा और सामाजिक प्रगति के बीच की खाई उजागर होती है। इस खाई को पाटना न केवल सरकार और नीति-निर्मातव्यों की जिम्मेदारी है, बल्कि हर नागरिक का नैतिक एवं मौलिक कर्तव्य भी है।

इसलिए, आवश्यकता है कि हम न केवल संविधान को पढ़ें, बल्कि उसे जीये भी - ताकि न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व शब्द न रहें, बल्कि भारत की असली पहचान बनें। एवं समकालीन भारत में उपरोक्त वास्तविकताएँ समाप्त हों।

अच्छा एवं सुंदर
प्रमाण

19/08/24